




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

TO BE SUBSTITUTED THE BEARING SAME NUMBER AND DATE

सेवा में,

Principal GMSSSS-Raja Kheri[2059], Panipat

यादी क्रमांक 2/62-2020 W(1)

दिनांक पंचकुला 19-03-2021

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring /Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 07.04.2020 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/62-2020 Works (1) दिनांक 18.09.2020 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 18000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Raja Kheri (Panipat) [2059]	Flooring Repair of Halls and Rooms	299834.00

कुल राशि

299834.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring/ Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


इ.रा.  
अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठाकन क्रमांक 2/62-2020 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 10-01-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 07.04.2020 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. सम्बन्धित जिला खजाना अधिकारी/सब खजाना अधिकारी पानीपत
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
7. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
8. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
9. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

  
अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



सेवा मे,

Principal GMSSSS-Raja Kheri[2059], Panipat

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 23-11-2021

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSS Raja Kheri (Panipat) [2059]	Biology Lab Repair, Library Repair, Door and Window Repair of Class Rooms	383074.00
	कुल राशि	383074.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों में भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 10.01.22

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों में निर्माण/मुरम्मत के कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पानीपत
8. उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

13/1/22  
Aardhelly

Sanjeev Kumar  
अधीक्षक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Bagthala[2464], Rewari  
Principal GGSSS-Bawal[2517], Rewari  
Principal GGSSS-Rewari[2541], Rewari  
Head Master GHS-Asalwas[5472], Rewari  
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 380  
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

**विषय** BaLa (Building as Learning Aid) under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bagthala (Rewari) [2464]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
2 GGSSS Bawal (Rewari) [2517]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
3 GGSSS Rewari (Rewari) [2541]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
4 GHS Asalwas (Rewari) [5472]	BaLa (Building as Learning Aid)	300000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>1200000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों में BaLa (Building as Learning Aid) के कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
8. उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।




सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GMSSSS-Khairi[2321], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 12-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Khairi (Kurukshetra) [2321].	Const. of Multipurpose Hall	1940000.00
	कुल राशि	1940000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला






GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Kohli[1239], Hisar

Principal GMSSSS-Uklana Mandi[1481], Hisar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 381

दिनांक पंचकुला 12-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Kohli (Hisar) [1239]	Const. of Multipurpose Hall on RCC Column & Beam	1673000.00
	Cycle Stand Shed with Corrugated Sheet	1904000.00
2 GMSSSS Uklana Mandi (Hisar) [1481]	Interlocking Tiles	989000.00
	Const. of Cycle Stand with Corrugated Sheet	1583000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>6149000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी हिसार
8. उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS-Lakhan Majra[2665], Rohtak

Principal GMSSSS-Sanghi[2681], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 382

दिनांक पंचकुला 12-01-2022

**विषय** माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Lakhan Majra (Rohtak) [2665]	Const. of Multipurpose Hall Const. of Cycle Stand	1673000.00 1527000.00
2 GMSSSS Sanghi (Rohtak) [2681]	Const. of Multipurpose Hall on RCC Column & Beam Const. of Cycle Stand	1608000.00 1648000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>6456000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*(Signature)*  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।


पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 12-01-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी रोहतक
8. उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

13/1/22  
Aedhelh

  
सहायक निदेशक निर्माण  
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
 Education, Culture and Development

 School Education, Haryana  
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

 तमसो मा ज्योतिर्गमय  
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक: 30/3-2018 PS(3)

दिनांक, पंचकूला 10.01.2022

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003 के नियम 42(2)III में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबन्धक Rishikul Vidyapeeth Educational Trust, Khasra No. 617, Extended Lal Dora, Alipur, Delhi के द्वारा संचालित Rishikul World Academy, Sonapat को M.K. Educational Trust, Khasra No. 615, Alipur, Delhi-36 द्वारा संचालित करने की अनुमति संस्था को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह विभाग के आदेश क्रमांक 30/3-2018 पी0एस0 (4) दिनांक 08.04.2019 के तहत प्रदान की गई स्थाई मान्यता में निहित शर्तें एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली-2003, 2007 व 2009 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करती रहेगी।

जे. गणेशन, आई0एस0  
 निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
 हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम-

दिनांक, पंचकूला : 13-1-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक M.K. Educational Trust, Khasra No. 615, Alipur, Delhi-36
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
5. प्राधानाचार्य, Rishikul World Academy, Sonapat.
6. आई0टी0 सेल
7. ऑफिस रिकार्ड।

*(Signature)*  
 सहायक निदेशक पी0एस0  
 कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,  
 हरियाणा, पंचकूला।